

राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, छत्तीसगढ़

रेल्वे टिकट प्रदाय करने के लिए संस्थाओं का चयन

परिचय – राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र छत्तीसगढ़ एक स्वायत्ताशासी संगठन है जो कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक-44) के अधीन पंजीकृत है। राज्य में मितानिन कार्यक्रम के संचालन के साथ-साथ ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

वांछित सेवायें – राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र के कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्यों के लिए भ्रमण हेतु रेल्वे टिकट की आवश्यकता होती है। इस संबंध में पंजीकृत एजेंटों से कोटेशन आमंत्रित है।

आवेदन प्रक्रिया – इच्छुक व्यक्ति / संस्थाएं अपने आवेदन दिये गये निर्धारित संलग्न प्रारूप में भरकर रु. 500.00 (रूपये पाच सौ मात्र) निविदा शुल्क के साथ कार्यालय में नियत तिथि तक राशी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से "STATE HEALTH RESOURCE CENTRE" Payable at Raipur के नाम पर देय होगी जो कि वापसी योग्य नहीं है।

चयन प्रक्रिया – सभी निविदाकर्ताओं द्वारा प्राप्त दरों एवं दी जाने वाली सुविधाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर न्यूनतम दर (L1) के निविदा का चयन किया जाएगा एवं अन्य निविदाकर्ताओं को (यदि इच्छुक हो तो) न्यूनतम दर के साथ मिलान करने का अवसर दिया जा सकता है। तत्पश्चात सभी निविदाकर्ताओं को उनके दर आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रथम L1 निविदाकर्ता को प्राथमिकता देते हुए कार्यदेश दिया जाएगा।

नियम व शर्तें-

1. समस्त निविदा प्रति, कय समिति, राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, बुढापारा बिजली ऑफिस चौक कालीबाड़ी, रायपुर के पते पर सीलबंद लिफाफे में दिनांक **15.03.2024** तक कार्यालयीन समय संध्या 05.30 तक जमा किया जाना होगा एवं लिफाफे पर **"कोटेशन- रेल्वे टिकट हेतु"** लिखा जाना होगा।
2. राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, रायपुर द्वारा दिये गये कोटेशन प्रारूप में ही दर स्वीकार्य होगा।
3. प्रस्तावित दरें शासन द्वारा लागू सभी कर सहित होंगी।
4. अनुबंध एक वर्ष तक होंगी।
5. निविदाकर्ता की वैध जी.एस.टी. नम्बर, पैन नम्बर एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न किया जाना होगा।
6. कार्य सम्पन्न होने पश्चात टिकट के साथ राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, रायपुर के नाम पर बिल प्रस्तुत किया जाना होगा।
7. बिलों का भुगतान फर्म के नाम पर चेक या ई-ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा एवं नियमानुसार कर TDS एवं GST TDS की कटौती की जाएगी।
8. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने और निविदा को निरस्त करने का अधिकार राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र के पास सुरक्षित रहेगा।
9. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर होगा।


वरिष्ठ समन्वयक प्रशासनिक
राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र

रेल्वे टिकिट बुकिंग के लिए एजेंट/फर्म के चयन हेतु आवेदन

प्रति,

क्रय समिति
राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र,
बिजली ऑफिस चौक के पास,
कालीबाड़ी रायपुर (छ.ग.)

महोदय,

मैं आपकी संस्था के रेल्वे टिकिट बुकिंग सेवा प्रदान करने का इच्छुक हूँ जिसके लिये निर्धारित शुल्क राशि डी.डी. क्रं. के माध्यम से जमा कर रहा हूँ। आपके द्वारा दिये गये प्रपत्र को मैंने ध्यान पूर्वक पढ़ा है एवं उनमें दी गई समस्त शर्तें मुझे मान्य है। उपरोक्त व्यवस्था हेतु मेरी दरें समस्त कर सहित निम्नानुसार हैं।

S. No.	Ticket Type (Counter / e-Ticket)	Details	Class	Commission Per Passenger (including taxes) Rs.	Remarks
1		General	Sleeper / Non Air Conditioned		
2			3/2/1 Tier Airconditioned		
3		Tatkal	Sleeper / Non Airconditioned		
4			3/2/1 Tier Airconditioned		

नोट:- टिकट निरस्त करने का शुल्क का उल्लेख स्पष्ट रूप से करें। (यदि हो तो)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं संस्था की सील

प्रोपाइटर का नाम

पता.....

मोबाइल नं.....

संलग्न-

1. भुगतान हेतु बैंक खातें कि जानकारी (अनिवार्य)
2. संस्था का GST नम्बर (अनिवार्य)
3. संस्था के PAN कार्ड कि प्रति (अनिवार्य)

